

साथिन के पद हेतु आवेदन-पत्र

(आवेदन दो प्रति में भरें)

पंचायत समिति :

जिला :

ग्राम पंचायत का नाम

(जिसके लिए आवेदन किया है)

राजस्व ग्राम

1. आवेदक का नाम

2. पति का नाम

3. पिता का नाम

4. पत्र व्यवहार का पता

5. सम्पर्क फोन नम्बर:

6. जन्म तिथि

7. आयु वर्ष माह
(विज्ञप्ति जारी करने की तिथि पर)

8. जाति

9. वर्ग अनु.जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक / ओ.बी.सी / सामान्य (टिक करें)

10. वैवाहिक स्थिति विवाहित / विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा (टिक करें)

11. विवाह की तिथि

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	उत्तीर्ण कक्षा	विद्यालय / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण

13. पूर्व में सम्पन्न कार्य अनुभव

(जहाँ आवश्यक हो प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

14. अन्य योग्यता का विवरण

15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-.....

संलग्न दस्तावेज (सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति):

1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र
2. सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र
3. 8 वीं अंकतालिका/प्रमाण पत्र (शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले 7 जिलों- 1. बाडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ़ 5. सिरोही 6. टोंक 7. उदयपुर हेतु मान्य)
4. मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र
6. कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो)

दिनांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

घोषणा

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैंने कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
2. मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।
3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।

दिनांक

हस्ताक्षर(आवेदनकर्ता)

रसीद यहाँ से फाड़ कर आवेदनकर्ता को दी जाये

आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद

श्रीमती पत्नी श्री निवासी से
ग्राम पंचायत के लिए पद हेतु आवेदन पत्र मय ...
.....संलग्नक प्राप्त किया गया।

दिनांक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

जिले का नाम:-

पंचायत समिति का नाम:-

ग्राम पंचायत का नाम:-

क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता	स्नातक या स्नातक से अधिक	3	3	
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	2		
		10वीं पास या समकक्ष योग्यता	1		
		8 वीं पास की अंकतालिका/प्रमाण पत्र	1		
2	श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3	3	
		पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक	2		
		सामान्य	1		
3	विशेष योग्यता	RSCIT का प्रशिक्षण प्राप्त	1	1	
4	कार्यानुभव	सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 1 वर्ष का कार्यानुभव या ज्योति योजना में लाभार्थी होना	1	1	
5	बीपीएल	बीपीएल कार्ड (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित)	1	1	
6	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	1	1	
कुल				10

नोट:- 8 वीं अंकतालिका/प्रमाण पत्र (शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले 7 जिलों- 1. बाडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ़ 5. सिरोही 6. टोंक 7. उदयपुर हेतु मान्य)

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच के पश्चात् उनके आधार पर यह मूल्यांकन प्रपत्र भरा गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर
सुपरवाइजर, मअ/प्रचेता

नोट:

1. दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जाएगा।
2. चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बंधित सहायक निदेशक कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी।

ग्राम सभा/ ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति द्वारा साथिन पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

दिनांक

जिले का नाम:-

पंचायत समिति का नाम:-.....

.....

ग्राम पंचायत का नाम:-

ग्राम सभा/ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली आवेदक श्रीमती पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी के नाम की अभिशंषा ग्राम सभा/ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक के प्रस्ताव संख्याके अनुसार ग्राम पंचायतकी साथिन के मानदेय सेवा पद के लिए की जाती है।

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

2

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता(जिले का नाम)

क्रमांक

दिनांक

विज्ञप्ति संख्या

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित सहायक निदेशक, मअ कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	सहायक निदेशक, मअ कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आई.डी	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.			
2.			

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला का जिस ग्राम पंचायत के लिए चयन हो रहा है उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
- साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है। शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले 7 जिलों- 1. बाड़मेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ़ 5. सिरोही 6. टोंक 7. उदयपुर हेतु 8 वीं उत्तीर्ण महिला पात्र होगी।
- विज्ञप्ति जारी होनी की तिथि तक आवेदक की आयु 21 -35 वर्ष। विधवा, तलकाशुदा एवं परित्यक्ता के लिए 21-45 वर्ष।
- आवेदन फार्म सहायक निदेशक कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत या विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र को सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में व्यक्तिशः/ई-मित्र अथवा अन्य माध्यम से सहायक निदेशक कार्यालय की ई-मेल पर विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस या 15 तारीख, सांय: 5.00 बजे तक जमा करा सकेगी।
- इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता

22

कार्यालय सहायक निदेशक

क्रमांक / संस्थापन / 201..... /

दिनांक

चयन- आदेश

ग्रामसभा/चयन कमेटी द्वारा योग्यता के आधार पर चयन कर मूल दस्तावेज मिलान के उपरान्त श्रीमतीसाथिन, ग्राम पंचायत का नाम को नियुक्ति हेतु चिन्हित किया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण में A या B ग्रेड प्राप्त करने पर ही मानदेय सेवा में निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी:

1. साथिन राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायतों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थाई है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे।
2. साथिन को विभाग के द्वारा निर्धारित किये गये कर्तव्यों एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
3. साथिन को ग्रामपंचायत की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सुपरवाईजर, मअ/प्रचेता को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाएँ भी यथा आवश्यकता प्रस्तुत करनी होगी।
4. विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय-समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब भी प्रशिक्षण में नामांकित किया जावेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना होगा।
5. साथिन के द्वारा प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग ऐसी साथिन की मानदेय सेवाएँ समाप्त कर उसे हटा सकता है तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
6. विभाग द्वारा जारी साथिन का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत साथिन को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. चयनित महिलाओं को आदेश जारी करने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित सुपरवाईजर, मअ/प्रचेता अथवा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी। कार्यग्रहण प्रतिवेदन संबंधित सरपंच से अग्रेषित करवाया जावे।
8. मानदेय सेवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं नीति निर्णय के अध्याधीन होगी।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
दिनांक

क्रमांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ :-

1. श्रीमान उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं
2. श्री/श्रीमती..... सुपरवाईजर, मअ/प्रचेता
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत.....
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. सम्बन्धित प्रार्थी
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता

कार्यालय सहायक निदेशक.....

क्रमांक :

दिनांक

कार्य-आदेश

साथिन के चयन हेतु संबंधित ग्राम में आयोजित ग्रामसभा की अनुशंसा तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की प्राथमिक जांच एवं प्रशिक्षण में उर्तीण होने के उपरान्त नीचे वर्णित महिलाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायत में साथिन के रूप में मानदेय सेवाओं पर कार्य-आदेश प्रदान किया जाता है।

क्र.सं.	अभ्यार्थी का नाम मय पति/पिता का नाम व पता	जन्म दिनांक (अंको एवं शब्दों में)	शैक्षणिक योग्यता	आवंटित ग्राम पंचायत का नाम	मानदेय दर	वि० वि०
1						
2						
3						
4						
5						

उपरोक्त महिलाओं को निम्न सेवा शर्तों के अध्याधीन उनके सम्मुख अंकित ग्राम पंचायत पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. साथिन के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाएँ आवश्यक रूप से समाप्त कर दी जायेंगी।
2. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
3. साथिन राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायतों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थाई है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे।
4. साथिन को विभाग के द्वारा निर्धारित किये गये कर्तव्यों एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. साथिन को ग्रामपंचायत की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सुपरवाईजर, मअ/प्रचेता को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाएँ भी यथा आवश्यकता प्रस्तुत करनी होगी।
6. विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय-समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब भी प्रशिक्षण में नामांकित किया जावेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना होगा।
7. साथिन के द्वारा प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग ऐसी साथिन की मानदेय सेवाएँ समाप्त कर उसे हटा सकता है तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
8. विभाग द्वारा जारी साथिन का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत साथिन को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
9. चयनित महिलाओं को आदेश जारी करने की तिथी से 7 दिवस के अन्दर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित सुपरवाईजर, मअ/प्रचेता अथवा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी। कार्यग्रहण प्रतिवेदन संबंधित सरपंच से अग्रेषित करवाया जावे।
10. मानदेय सेवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं नीति निर्णय के अध्याधीन होगी।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक :

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ :-

1. श्रीमान उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं
2. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति
3. श्री/श्रीमती..... सुपरवाइजर, मअ,
4. सम्बन्धित ग्राम पंचायत.....
5. लेखाशाखा/संस्थापन शाखा,.....
6. सम्बन्धित श्रीमती
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/ 26652 जयपुर, दिनांक- 4/9/19

परिपत्र संशोधन आदेश

(साथिन का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश, साथिन कलेण्डर आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया)

विभाग द्वारा साथिन के मानदेय सेवा पर चयन, सेवा से पृथक्कीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए प्रसारित दिशा-निर्देश/परिपत्र क्रमांक प.19(1)(6)निमअ/मविका/सा.चयन/2014-15/22430 दिनांक 05.07.2017 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं, ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-

(i) बिन्दु संख्या- 1 (ix) :- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. द्वारा ग्राम साथिन के पद रिक्ति की विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा 2 माह की समयावधि या 1 ग्राम सभा आयोजन में पूर्ण नहीं की जाती है तो उपनिदेशक/सहायक निदेशक/सुपरवाइजर/प्रचेता, महिला अधिकारिता द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(34)प्र.सु/अनुभाग-3/2013 दिनांक 02.09.2019 के द्वारा निम्नानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित ग्राम साथिन चयन समिति को ग्राम सभा आयोजन की तिथि से 15 दिवस में चयन समिति को समस्त प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - अध्यक्ष
- संबंधित पंचायत समिति के सदस्य - सदस्य
- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता - सदस्य सचिव
- बाल विकास परियोजना अधिकारी - सदस्य
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- प्रचेता/महिला सुपरवाइजर - सदस्य

चयनित अभ्यर्थी की सूचना संशोधित परिशिष्ट स" के अनुसार उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. को प्रेषित की जायेगी। जिला उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. का यह उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के 75 दिन में पूर्ण हो जाये (विज्ञप्ति, चयन एवं कार्यादेश का प्रारूप संलग्न है)।

बिन्दु संख्या- 4 (iii) को विलुप्त किया जाता है।
नोट-शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।


(पी.सी.प्रवन)
निदेशक
महिला अधिकारिता

कृ.पृ.उ.....

26653-26802

जयपुर, दिनांक- 4/9/19

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. समस्त जिला प्रमुख।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
7. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
8. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
10. समस्त बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
11. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

(डॉ. आभा जैन)

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

दिनांक 04.09.2019 संशोधित परिशिष्ट 'स'

ग्राम साथिन चयन समिति द्वारा साथिन पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

दिनांक

जिले का नाम:-

पंचायत समिति का नाम:-.....

ग्राम पंचायत का नाम:-

ग्राम साथिन चयन समिति द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली आवेदक श्रीमती पुत्री/पत्नी श्री निवासी के नाम की अभिशंषा ग्राम साथिन चयन समिति की बैठक दिनांक के प्रस्ताव संख्याके अनुसार ग्राम पंचायतकी साथिन के मानदेय सेवा पद के लिए की जाती है।

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)
☎: 0141-2716402



क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/25622 जयपुर, दिनांक- 28-10-2020

परिपत्र संशोधित आदेश

साथिन के चयन से संबंधित परिपत्र संशोधन आदेश क्रमांक प.19(1)(6) निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/26652 दिनांक 04.09.2019 के बिन्दु संख्या 1(ix) साथिन मानदेय कार्यकर्ता के चयन हेतु गठित समिति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता -अध्यक्ष
2. संरक्षण अधिकारी, म.अ. अथवा संबंधित ब्लॉक का सी.डी.पी.ओ. -सदस्य
3. संबंधित सुपरवाइजर, म.अ. अथवा महिला पर्यवेक्षक, आई.सी.डी.एस. -सदस्य

नोट:- संबंधित संरक्षण अधिकारी, म.अ. एवं संबंधित सुपरवाइजर, म.अ. का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः संबंधित ब्लॉक का सी.डी.पी.ओ. एवं महिला पर्यवेक्षक, आई.सी.डी.एस. समिति के सदस्य रहेंगे।

उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ. का यह उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के 60 दिवस में ग्राम सभा स्तर पर पूर्ण हो जाये। ग्राम सभा स्तर पर 60 दिवस में पूर्ण नहीं होने पर 15 दिवस में उक्त चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जावे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के साथिन चयन प्रकरण भी उक्त समिति द्वारा निस्तारित किये जा सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त

25623-803 महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/25622 जयपुर, दिनांक- 28-10-2020
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला प्रमुख।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
8. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
9. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
11. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
12. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
13. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय महिला अधिकारिता।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता



क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/30366 जयपुर, दिनांक-17/12/2020

परिपत्र संशोधित आदेश

वर्तमान में ग्राम पंचायतों के विलीनीकरण के कारण, साथिन के चयन से संबंधित परिपत्र संशोधन आदेश क्रमांक प.19(1)(6) निमअ/ मविका/साथिन चयन/14-15/22430 दिनांक 05.07.2017 के बिन्दु संख्या-4 (xii, xiii & xiv) के सन्दर्भ में परिसीमन के फलस्वरूप साथिन की नियुक्ति आदेश निरस्त होने के उपरान्त उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2(i) में जिसमें साथिन के उसी ग्राम पंचायत के सदस्य होने की अनिवार्यता है, के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए साथिन की पुनर्नियुक्ति हेतु विलीनीकृत ग्राम पंचायत के निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नव सृजित ग्राम पंचायत में साथिन का पद यदि रिक्त हो तो उसके चयन में वरियता देते हुए उसके चयन आदेश तत्काल जारी किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आयुक्त

30367-570

महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/

जयपुर, दिनांक- 17/12/2020

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, गांधी नगर, जयपुर।
5. समस्त जिला प्रमुख।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
8. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
9. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
10. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
11. समस्त बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
12. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग



क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/22112 जयपुर, दिनांक- 16.7.2021

परिपत्र संशोधन आदेश

वर्तमान में ग्राम पंचायतों के विलीनीकरण के कारण, साथिन के चयन से संबंधित परिपत्र संशोधित आदेश क्रमांक प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/22430 दिनांक 05.07.2017 बिन्दु संख्या 2(i) में विभागीय पत्र के आदेश क्रमांक 30366 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा शिथिलता प्रदान की गई है। इस की निरन्तरता में बिन्दु संख्या 2(iii) और 2(iv) में भी शिथिलता प्रदान करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि परिसीमन के कारण प्रभावित हुई साथिनों के प्रकरण में ही यह आदेश प्रभावी होगा।

ग्राम पंचायतों के विलीनीकरण के निम्न प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1. यदि कार्यरत साथिन का गांव (मूल निवास) पूर्व गठित (पुरानी) ग्राम पंचायत से पृथक होकर नव गठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में साथिन का गांव जिस नव गठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित हुआ है, उस ग्राम पंचायत में साथिन को चयन समिति के निर्णय अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। पुरानी ग्राम पंचायत में जहां पद रिक्त हुआ है, वहां नवीन साथिन का चयन किया जावे। विशेष परिस्थिति में यदि कार्यरत साथिन पूर्व स्थान पर (पुरानी ग्राम पंचायत में) ही कार्य करने की इच्छुक है तो साथिन से लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर साथिन को चयन समिति के निर्णय अनुसार साथिन को वहीं पर पदस्थापित रखा जा सकेगा।
2. यदि परिसीमन के फलस्वरूप कोई ग्राम पंचायत/नगरपालिका क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में विलीन हो जाती है तो विलीनीकृत ग्राम पंचायत की, साथिन के पद के समाप्त होने के फलस्वरूप, वर्तमान कार्यरत साथिन को निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नव गठित ग्राम पंचायत में साथिन के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण सुपरवाइजर, म.अ. द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जाये। चयन समिति के निर्णय अनुसार साथिन को पदस्थापित किया जा सकता है।
3. यदि साथिन का चयन कर लिया गया हो किन्तु कार्य प्रशिक्षण के अभाव में कार्यादेश जारी नहीं किया गया हो और उसकी ग्राम पंचायत परिसीमन में विलीन हो गई हो तो ऐसे प्रकरण को सुपरवाइजर, म.अ. द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। उस साथिन को

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)


D/Dinesh/Letters | ☎: 0141-2716452 | ✉: sathincell.we@rajasthan.gov.in | 🌐: http://wcd.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग



निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नव गठित ग्राम पंचायत में साथिन का पद रिक्त हो तो चयन समिति के निर्णय अनुसार कार्य प्रशिक्षण पश्चात चयनित साथिन के प्रशिक्षण में सफल होने पर कार्यादेश जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त के क्रम में निर्णय हेतु परिपत्र संशोधित आदेश क्रमांक 25622 दिनांक 28.10.2020 द्वारा गठित चयन समिति को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/22113-217 जयपुर, दिनांक-16-7-2021
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, गांधी नगर, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
7. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
8. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
9. प्रोग्रामर, म.अ. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता